

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

सं. 12/2017- केंद्रीय कर

सा.का.नि. 660(अ)—केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक के अनुसरण में, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करता है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका वार्षिक आवृत्त नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) कोड के अंकों का वर्णन, उक्त अधिसूचना के अधीन जारी कर-बीजक में करेगा।

सारणी

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में वार्षिक आवृत्त	एचएसएन कोड के अंकों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	एक करोड़ पचास लाख रुपए तक	कुछ नहीं
2.	एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक और पांच करोड़ रुपए तक	2
3.	पांच करोड़ रुपए से अधिक	4

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 12/2017 – Central Tax

G.S.R. 660(E).—In pursuance of the first proviso to rule 46 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Board of Excise and Customs, on the recommendations of the Council, hereby notifies that a registered person having annual turnover in the preceding financial year as specified in column (2) of the Table below shall mention the digits of Harmonised System of Nomenclature (HSN) Codes, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in a tax invoice issued by him under the said rules.

TABLE

Serial Number	Annual Turnover in the preceding Financial Year	Number of Digits of HSN Code
(1)	(2)	(3)
1.	Upto rupees one crore fifty lakhs	Nil
2.	more than rupees one crore fifty lakhs and upto rupees five crores	2
3.	more than rupees five crores	4

2. This notification shall come into force from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 349/72/2017-GST]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.